

न्यायालय तहसीलदार जखतपुरा

मुकदमा नंबर 146/2016

श्री दरजाम पुत्र श्री उकाजी

श्री दरजाम पुत्र श्री उकाजी

जति कलवी निवासी गोलगा

दिनांक:-10.02.2017

निर्णय

राजस्थान सरकार जसिये

बनाम

पटवारी हल्का चकला

पत्रावली पेश हुयी। शैरसायल शेरहाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण

इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चकला व निरीक्षक मुं0310 जखतपुरा ने रिपोर्ट पेश

की कि शैरसायल ने संवत 2073 में मौजा चकला के खसरा नंबर 552 रकबा 0.15 हेक्टर

किस्म बा.पु में अनाधिकृत रूप से बाहुबनाकर कब्जा किया है। जिस पर शैरसायल को

जसिये नोटिस तलब किया गया। शैरसायल ने अपने जवाब में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या

अन्य कोई सबूत पेश नहीं किया, नही पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि

शैरसायल ने सरकारी भूमि पर अधिकमण किया है।

अतः राजस्थान मुं-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा

91 (1) के तहत संवत 2073 में मौजा चकला के खसरा नंबर 552 रकबा 0.15 हेक्टर

किस्म बा.पु अधिकमी घोषित किया जाकर अधिकमित रकबे से भौतिक रूप से बेदखली

के आदेश दिये जाते है साथ ही अधिकमित रकबे पर मुं राजस्व अधिनियम 1956 की

धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 0.90 का 50 गुणा रु0 45/- अक्षर शैतानीस

रूपसे मात्र बतौर पुर्नाना आयोजित किया जाता है। निरीक्षक (मुं.अ.) जखतपुरा

,पटवारी हल्का चकला को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं पुर्नाना कायमी हेतु लिखा

जाये। आदेश सह इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार, जखतपुरा